न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 30/2021(2021/108)

1. किशनलाल पुत्र सवाईराम जाति जाट निवासी मेवदाकलां तहसील केकड़ी जिला अजमेर

---प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. तहसीलदार महोदय तहसील कार्यालय केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

--अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः–

प्रार्थी वकील :– श्री हनुमान प्रसाद शर्मा

पेराकार सरकार :– जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 719/3 रकबा 3 बीस्वा वाके **ग्राम मेवदाकलां तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित** है। उक्त आराजीयात प्रार्थी की एकमात्र कब्जे स्वामित्व आधिपत्य एवं हक हिस्से की आराजी (बाड़ा) है जिसमें अप्रार्थी या अन्य किसी व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा नही है। उक्त आराजीयात से प्रार्थी को जबरन बेदखल करते हुए जबरन कब्जा करने की निरंतर धमकियां दे रहे है जिससे यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को पूर्व में उक्त आराजी (बाड़ा) को नापने बाबत प्रस्तुत किया जिस पर अप्रार्थी ने नापचोप करवा दिया, लेकिन सीमाज्ञान से सीमा चिन्ह स्थायी नही होने से आये दिन विवाद होते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बर 719/3 रकबा 3 बीस्वा की स्थायी पत्थरगढी कराने के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी द्वारा पत्रावली में जवाब प्रार्थना पत्र अंकित किया गया जिसके अनुसार पत्रावली में संलग्न मिलान क्षेत्रफल की प्रतिलिपि के अनुसार खसरा नम्बर 719/3 का रकबा 1.30 हैक्ट है। साबिक खसरा नम्बर 719/2 रकबा 0.16 एवं 719/3 रकबा 1.30 से हाल खसरा नम्बर 1849 रकबा 1.46 हैक्ट बना है। प्रार्थी साबिक खसरा नम्बर 719/3 में से 3 बिस्वा की पत्थरगढी करवाना चाहता है जो बिना विभाजन संभव नही है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया। पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार के अनुसार खसरा नम्बर 719/3 का रकबा 1.30 हैक्ट है। साबिक खसरा नम्बर 719/2 रकबा 0.16 एवं 719/3 रकबा 1.30 से हाल खसरा नम्बर 1849 रकबा 1.46 हैक्ट बना है। प्रार्थी साबिक खसरा नम्बर 719/3 में से 3 बिस्वा की पत्थरगढी करवाना चाहता है जो बिना विभाजन संभव नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का खारिज किया जाता है। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

Scanned with OKEN Scanner